राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / एन.एच.एम. / एन.टी.सी.पी. / 2019 / 872 भोपाल, दिनांक 25.01. 2019

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :— राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 से संबंधित रसीद बुक का मुद्रण कराए जाने बाबत्।

संदर्भः—
1. राज्य कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक / एन.एच.एम. / एन.टी.सी.पी. / 2018 / 6977 दिनांक 27 / 06 / 2018।
2. राज्य कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक / एन.एच.एम. / एन.टी.सी.पी. / 2018 / 10294 दिनांक 08 / 10 / 2018।

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अधिनियम 2003 (कोटपा एक्ट) की धाराओं का उल्लंघन करने वाले पर जर्माना करने का प्रावधान है। जुर्माना से संबंधित रसीद बुक के मुद्रण करवाए जाने हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 की कार्ययोजना में जुर्माना रसीद के मुद्रण हेतु राशि रूपये 25000 / — (रू. पच्चीस हजार मात्र) प्रति जिले के मान से स्वीकृति गतिविधि क्रमांक 12.1.4.1 अंतर्गत प्रदान की गई है। अतः इस राशि से संलग्न प्रारूप अनुसार रसीद बुक का मुद्रण शासकीय नियमानुसार दिनांक 20 जुलाई 2018 तक अनिवार्यता से कराते हुए जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को प्रदान करें। इस हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के माध्यम से पुनः निर्देशित किया गया था कि उक्त कार्य 20 अक्टूबर 2018 तक कराये। खेदजनक है कि अधिकांश जिलों के द्वारा रसीद बुक का मुद्रण कार्य अभी तक नहीं कराया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28 / 01 / 2019 तक रसीद बुक का मुद्रण कराते हुए नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी. एवं अन्य विभाग प्रमुख को प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें एवं मुद्रण में हुए व्यय की बुकिंग एफएमआईएस के गतिविधि क्रमांक 12.1.4.1 में किया जाना भी सुनिश्चित करें।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ. क्र. / एन.एच.एम. / एन.टी.सी.पी. / 2019 / 873 भोपाल, दिनांक 25/01 / 2019

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
2. संचालक, वित्त, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एन.टी.सी.पी., मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश